भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फ.सं 6/29/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 05 नवम्बर, 2024

प्रारंभिक निष्कर्ष

मामला संख्याः एडीडी (ओआई)-27/2023

विषय: चीन जन. गण. और वियतनाम में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए 'टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास' के आयात से संबंधित पाटन रोधी **जांच।**

क. मामले की पृष्ठभूमि

फ.सं 6/29/2023-डीजीटीआर। - समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ नियम, 1995 (जिसे इसके बाद पाटनरोधी नियमावली अथवा नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि, बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' के रूप में संदर्भित) ने टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' या 'विषय वस्तुओं' या 'टीटीजी' के रूप में भी संदर्भित) के आयात से संबंधित पाटन रोधीजांच शुरू करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटन रोधी नियमों के अनुसार नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया चीन, पीआर और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात किया गया (इसके बाद 'विषय देशों' के रूप में भी जाना जाता है)।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के मद्देनजर, प्राधिकरण ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/29/2023-डीजीटीआर दिनांक 13 फरवरी 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए पाटन रोधी नियमों के नियम 5 के अनुसार संबंधित देशों से पीयूसी के आयात की पाटन रोधी जांच शुरू की गई, संबंधित वस्तुओं के किसी कथित पाटन की मात्रा और प्रभाव की सीमा और प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकरण ने नियम 5 सुप्रा के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले वर्तमान पाटन रोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबंधित देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकरण ने 13 फरवरी 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित पाटन रोधीजांच शुरू की गई।

ग. प्राधिकरण ने जाच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों, संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ-साथ अन्य इच्छुक पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया।

घ. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबंधित देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति प्रदान की। आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रदान की गई थी, जहां भी अनुरोध किया गया था।

ङ. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी है:

i. फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
ii. डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड
iii. झेजियांग जियाफू ग्लास कंपनी लिमिटेड (शंघाई फ्लैट ग्लास, एफएसजी ग्रुप)
iv. हेनान एन्काई हाई टेक कंपनी लिमिटेड
v. शानक्सी टोप्रे सोलर, चीन

च. भारत में विषय देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर देने की सलाह दें।

छ. जवाब में, विषय देशों के निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दर्ज करके जवाब दिया है:

I. अनहुई सीएसजी न्यू एनर्जी मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
II. आंग्शी ज़िन्यी फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
III. ज़िन्यी पीवी प्रोडक्ट्स (अनहुई) होल्डिंग्स लिमिटेड
IV. ज़िन्यी सोलर (सूज़ौ) लिमिटेड
V. ज़िन्यी सोलर (हांगकांग) लिमिटेड
VI. डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड
VII. हुनान किबिंग सोलर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
VIII. निंगबो किबिंग फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
IX. झांगझोउ किबिंग फोटोवोल्टिक न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
X. झेजियांग निंगहाई किबिंग न्यू एनर्जी कंपनी लिमिटेड
XI. वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड
XII. अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड
XIII. फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड
XIV. फ्लैट ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड
XV. फ़्लैट (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
XVI. शानक्सी टोप्रे सोलर कंपनी लिमिटेड
XVII. शेन्ज़ेन टोप्रे सोलर कंपनी लिमिटेड

ज. प्राधिकरण ने भारत में संबंधित वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी जिसमें नियमों के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी।

I. मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड
II. स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड
III. प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड
IV. रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
V. गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड
VI. वारी एनर्जीज़ लिमिटेड
VII. एल्पेक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
VIII. विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड
IX. टॉपसन एनर्जी लिमिटेड
X. टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड
XI. एम्मी फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड
XII. नेविटास ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
XIII. सोवा पावर लिमिटेड

झ. किसी भी आयातक/उपयोगकर्ता/उपभोक्ता ने प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया है।

ञ. प्राधिकरण ने विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए सबमिशन का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया। डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी इच्छुक पार्टियों की एक सूची अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें।

ट. डी जी सी आई एस से अनुरोध किया गया था कि वे क्षति की अवधि के लिए संबंधित वस्तुओं के आयात का लेनदेन-वार ब्यौरा और जांच की अवधि भी उपलब्ध कराएं। प्राधिकरण ने आयातों की मात्रा की गणना के लिए डी जी सी आई एस आंकड़ों और लेन-देन की विधिवत जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण पर भरोसा किया है।

ठ. उत्पादन की इष्टतम लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के अनुलग्नक- III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर भारत में संबंधित वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत के आधार पर गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) तैयार किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को नुकसान को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ड. वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की परीक्षा में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल है।

ढ. इस जांच के दौरान इच्छुक पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी जाती हैं, इन प्रारंभिक निष्कर्षों में प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।

ण. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का पर्याप्त गैर-गोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

त. जहां कहीं भी किसी इच्छुक पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकरण ने ऐसे पक्षों को गैर-सहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

थ. प्राधिकरण ने पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियां उपलब्ध कराने के लिए समय प्रदान किया। हालांकि, किसी भी इच्छुक पार्टी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

द. प्राधिकरण ने इस चरण तक सभी इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया है, जिस हद तक साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। प्राधिकरण प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों की आगे जांच करेगा, जो अंतिम निष्कर्षों के समय निष्कर्ष का आधार बनेगा।

ध. इस अधिसूचना में '***' एक इच्छुक पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है और नियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार विचार किया जाता है।

न. विषयगत अन्वेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = ₹ 83.52 है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और</u> वस्तु

4. शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को 'टेक्सचर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसकी न्यूनतम 90.5% ट्रांसमिशन मोटाई 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहनशीलता सहित) से अधिक नहीं थी और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक हो। चाहे लेपित हो या बिना लेपित'। उत्पाद को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न वाला सोलर ग्लास आदि।

ग.1 <u>अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार</u>

5. किसी भी इच्छुक पक्ष ने पीयूसी या पीसीएन पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

6. विचाराधीन उत्पाद 'टेक्सचर्ड टफेन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई न्यूनतम 90.5% संचरण 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहिष्णुता सहित) से अधिक नहीं है और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड' चीन जन. गण. और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है।

7. बाजार की भाषा में उत्पाद को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न सोलर ग्लास आदि। लौह सामग्री को कम रखकर संचरण का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर 200 पीपीएम से कम। एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल के साथ लेपित होने पर ट्रांसमिशन स्तर लगभग 2% -3% बढ़ जाता है।

8. विषयगत उत्पादों का आयात मुख्य रूप से 8 अंकीय स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता है, 70071900 हालांकि इन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत और आयात किया जा रहा है, जैसा कि आयात आंकड़ों से देखा जा सकता है। तथापि, यह नोट किया गया है कि आयात आंकड़ों से स्पष्ट अनुसार 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 और 85414011 उपशीर्षों में भी संबंधित वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कस्टम वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से, यह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण संघर्ष की परिस्थितियों में प्रबल होता है

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं और संबंधित देशों से आयातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और संबंधित देशों से आयातित विषय वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और माल के बाजार और टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में आने वाली वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। राजसहायता प्राप्त आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित विषय वस्तुओं और आवेदकों

द्वारा विनिमत विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए नियमों के तहत 'वस्तु की तरह' माना जाना चाहिए।

ग.3 **<u>प्राधिकरण द्वारा</u>** <u>समीक्षा</u>

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को शुरू करने के चरण में, टेक्सचर्ड टफेन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसकी मोटाई न्यूनतम 90.5% संचरण 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहिष्णुता सहित) से अधिक नहीं थी और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक हो, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड।

11. पीयूसी को सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न वाले सोलर ग्लास आदि जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। पीयूसी का उपयोग सौर फोटोवोल्टिक पैनलों और सौर तापीय अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में किया जाता है। लौह सामग्री को कम रखकर संचरण का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर 200 पीपीएम से कम। एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल के साथ लेपित होने पर ट्रांसमिशन स्तर लगभग 2% -3% बढ़ जाता है।

12. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में उल्लिखित कांच और कांच के बने पदार्थ श्रेणी में और सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

13. इसी तरह के अनुच्छेद के संबंध में, नियमों के नियम 2 (डी) निम्नानुसार प्रदान करता है:

> *'समान वस्तु' का अर्थ है एक ऐसी वस्तु जो भारत में पाटित किए जाने के लिए जांच के अधीन वस्तु के सभी प्रकार से समान या समान है या ऐसी वस्तु के अभाव में, एक अन्य वस्तु जो सभी प्रकार से समान नहीं है, लेकिन विशेषताएं जांच के तहत वस्तुओ के समान हैं।*

14. प्राधिकरण नोट करता है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा

विचाराधीन उत्पाद और संबंधित देशों से आयातित उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं पाटन रोधी नियमों के नियम 2 (डी) के दायरे और अर्थ के भीतर संबंधित देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए वस्तु की तरह हैं।

15. विचाराधीन उत्पाद और वस्तु मुद्दे के बारे में इच्छुक पार्टियों द्वारा कोई तर्क दायर नहीं किया गया था। इसलिए, प्राधिकरण पुष्टि करता है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

घ. उद्योग और स्थायी का दायरा

16. वर्तमान आवेदन मैसर्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह जांच की अवधि के दौरान भारत में संबंधित वस्तुओं के कुल उत्पादन का लगभग 72% है। आवेदक ने दावा किया है कि देश में प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण (पीयूसी) की पांच अन्य ज्ञात निर्माता कंपनियां हैं.

17. उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक ने न तो संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं का आयात किया है और न ही यह संबंधित वस्तुओं के किसी आयातक या उत्पादक/निर्यातकों से संबंधित है।

घ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार

18. अन्य इच्छुक पाटयों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

19. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियां इस प्रकार हैं:
    I. वर्तमान आवेदन बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (बीआरएल) द्वारा दायर किया गया है और वे भारत में संबंधित वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक हैं।
    II. भारत में संबंधित वस्तुओं के पांच (5) अन्य ज्ञात उत्पादक हैं।

III. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह संबंधित देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबंधित वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.**3** **<u>प्राधिकरण द्वारा समीक्षा</u>**

20. पाटन रोधीनियमों का नियम 2 (बी) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

> *(ख) 'घरेलू उद्योग' से वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो संपूर्ण रूप से ऐसी वस्तु के विनिर्माण में लगे हुए हैं और उनसे संबंधित कोई कार्यकलाप है या वे जिनके उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ लगाया जा सकेगा बाकी निर्माताओं का जिक्र करते हुए'।*

21. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदन बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (बीआरएल) द्वारा दायर किया गया है। यह आगे ध्यान दिया जाता है कि आवेदक उद्योग के अलावा, 4 अन्य उत्पादक गोबिंद ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, त्रिवेणी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, और गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड हैं, जिन्होंने पीओआई में उत्पादन शुरू कर दिया है।

22. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि आवेदक ने विषय देशों से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह संबंधित देशों में संबंधित वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में संबंधित वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, आवेदक का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार, आवेदक पाटन रोधीनियमों के नियम 2 (बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है, और आवेदन पाटन रोधीनियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करता है।

ङ **<u>गोपनीयता</u>**

ङ **1 <u>अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार</u>**

23. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य इच्छुक पाटयों ने इस संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है।

ङ.**2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>**

24. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है।

ङ.**3 <u>प्राधिकरण द्वारा</u>** समीक्षा

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटन रोधी नियमों के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

'गोपनीय जानकारी:

(1) नियम 6 के उपनियम (2), उपनियम (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या अन्वेषण के दौरान किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर अभिहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य जानकारी, नामित प्राधिकारी द्वारा अपनी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसा माना जाएगा और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी अन्य पार्टी को ऐसी कोई जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, तो ऐसा पक्षकार अभिहित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकेगा कि संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वांछित नहीं है या सूचना का आपूतकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटीकरण को

सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्राधिकृत करने के लिए या तो अनिच्छुक है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकेगा।

26. प्राधिकरण ने वर्तमान अनंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए मार्जिन की गणना के लिए संबंधित देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं में दावा की गई जानकारी/आंकड़ों पर भरोसा किया है। जांच के आगे की प्रक्रिया के दौरान विस्तृत परीक्षा, विश्लेषण और सत्यापन किया जाएगा।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन</u>

च.1 <u>अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार</u>

27. अन्य इच्छुक पार्टियों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई प्रस्तुतियां नहीं दी हैं।

च.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

28. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हैं:

I. चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए)(i) के अनुसार चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध I, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

II. सत्यापन योग्य सूचना/आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर पाया है। अत घरेलू उद्योग ने प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य व्ययों तथा उचित लाभों के अतिरिक्त आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

III. वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य की गणना करते समय प्राधिकरण को उस कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विचार करना चाहिए जिसे निर्यातक चीन से खरीद रहे हैं। प्राधिकरण ने कई मामलों में पूर्व की जांचों में ऐसा दृष्टिकोण अपनाया था।

IV. निर्यात मूल्य का निर्धारण फैक्टरी मूल्य निर्धारित करने के लिए विधिवत समायोजन करने के बाद प्रकाशित डीजीसीआईएस आंकड़ों से अपनाई गई जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए।

V. विषय देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

च.3 <u>प्राधिकरण द्वारा समीक्षा</u>

29. धारा 9 ए (1) (सी) के तहत, एक वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

'i) तुलनीय मूल्य, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में, समान वस्तु के लिए, जब निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत हो, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है, या
ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब विशेष बाजार की स्थिति या निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, सामान्य मूल्य या तो होगा:

(क) उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यथा अवधारित निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र या किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर ऐसी वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य; या मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उचित जोड़, और मुनाफे के लिए, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है;

(ख)परन्तु मूल देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात की दशा में और जहाँ वस्तु को निर्यात देश के माध्यम से केवल अंतरित किया गया है या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं की गई है या निर्यात के देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, सामान्य मूल्य मूल देश में उसकी कीमत के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा।

30. प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर की हैं:

क. ज़िन्यी ग्रुप, चीन
ख. किबिंग ग्रुप, चीन
ग. फ़्लैट ग्रुप, चीन

घ. अनहुई सीएसजी न्यू एनर्जी मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
ङ. डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड
च. वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड
छ. अनहुई फ्लैट सोलर
ज. फ्लैट ग्रुप वियतनाम

च.3.1 <u>सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण</u>

चीन के लिए सामान्य मूल्य

31. प्राधिकरण चीन जनगण के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करता है।

'7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत, या जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें वास्तव में भुगतान की गई कीमत या भारत में देय उत्पाद के लिए शामिल है, विधिवत समायोजित, यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश का चयन नामित प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से [संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए] किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय जानकारी का उचित ध्यान रखा जाएगा। हिसाब भी समय सीमा के भीतर लिया जाएगा; जहां उपयुक्त हो, जांच की, यदि कोई हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के संबंध में इसी तरह के मामले में की गई है। जांच के लिए पार्टियों बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के पूर्वोक्त चयन के अनुचित देरी के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणी की पेशकश करने के लिए समय की एक उचित अवधि दी जाएगी.

'8. (1) शब्द 'गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश' का अर्थ है कोई भी देश जिसे नामित प्राधिकारी लागत या मूल्य निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर काम नहीं करने के रूप में निर्धारित करता है, ताकि ऐसे देश में माल की बिक्री उप-अनुच्छेद (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार माल के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित न करे।

(2) यह पूर्वधारणा होगी कि कोई भी देश, जिसे जांच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है या माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। बशर्ते, कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश की संबंधित फर्में नामित प्राधिकारी को जानकारी और साक्ष्य प्रदान करके ऐसी धारणा का खंडन कर सकती हैं जो यह स्थापित करता है कि ऐसा देश उप- अनुच्छेद (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है

(3) अभिहित प्राधिकारी प्रत्येक दशा में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा कि क्या: (क) ऐसे देश में संबंधित फर्मों के मूल्यों, लागतों और आदानों के संबंध में, जिनके अंतर्गत कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, विक्रय और निवेश भी हैं, आपूर्ति और मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों के प्रत्युत्तर में और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं, और क्या प्रमुख इनपुट की लागत बाजार मूल्यों को काफी हद तक दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से किए गए महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते में, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋण के मुआवजे के माध्यम से भुगतान के संबंध में; (c) ऐसी फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के संचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं, और (d) विनिमय दर रूपांतरण बाजार दर पर किए जाते हैं। बशर्ते, तथापि, जहां इस अनुच्छेद में विनिदष्ट मानदंडों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह दर्शाया गया है कि पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन ऐसी एक या अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां प्रबल होती हैं, पदनामित प्राधिकारी अनुच्छेद 7 और इस अनुच्छेद में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर अनुच्छेद 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकता है।

(4) उप अनुच्छेद (2) में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकेगा, सुसंगत मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसके अंतर्गत उप अनुच्छेद (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड भी हैं, किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा, प्रतिपाटन अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाता है या अवधारित किया जाता है, एक ऐसे देश द्वारा जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है।

32. आरंभ के चरण में, प्राधिकरण चीन जनसंपर्क को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने की पूर्वधारणा के साथ आगे बढ़ा । पहल किए जाने पर, प्राधिकरण ने चीन जनगण में उत्पादकों/निर्यातकों को दीक्षा की सूचना का उत्तर देने और यह सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकरण ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जनगण में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार/अनुपूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

33. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

'(ए) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटन रोधी *समझौते के तहत मूल्य तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य जांच के तहत उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा या एक कार्यप्रणाली जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है:*

यदि जांच के तहत उत्पादक स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य तुलनीयता निर्धारित करने में जांच के तहत उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;

आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य एक ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है यदि जांच के तहत उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।

(बी) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के तहत कार्यवाही में, अनुच्छेद 14 (ए), 14 (बी), एल 4 (सी) और एल 4 (डी) में वर्णित सब्सिडी को संबोधित करते समय, एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे; हालांकि, यदि उस आवेदन में विशेष कठिनाइयां हैं, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान करने और मापने के लिए कार्यप्रणाली का उपयोग कर

सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखता है कि चीन में मौजूदा नियम और शर्तें हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के प्रयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य पाटन रोधी*प्रथाओं पर समिति को उप-अनुच्छेद (ए) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को अधिसूचित करेगा और सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समिति को उप-अनुच्छेद (बी) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।*

(घ) एक बार चीन ने डब्ल्यूटीओ के आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत यह स्थापित कर दिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, उपअनुच्छेद (ए) के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तारीख के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था मानदंड शामिल हों। किसी भी स्थिति में, उप-अनुच्छेद (ए) (ii) के प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 साल बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, चीन को डब्ल्यूटीओ सदस्य के आयात करने के राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्थापित करना चाहिए, कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल होती है, उप-अनुच्छेद (ए) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रावधान अब उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

34. प्राधिकरण नोट करता है कि चीन जन. गण. के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (ii) के प्रावधान 11 दिसंबर 2016 से समाप्त हो गए हैं, लेकिन परिग्रहण प्रोटोकॉल के 15 (ए) (i) के तहत एक दायित्व के साथ पढ़े गए पाटन रोधी समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान को पाटन रोधी नियमों के अनुलग्नक 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को एमईटी का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से संतुष्ट होने की आवश्यकता है ओहदा। प्राधिकरण नोट करता है कि चीन पीआर से किसी भी निर्माता या निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार या पूरक प्रश्नावली प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की है। अत इन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य संगणना का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के अनुच्छेद 7 के उपबंधों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

35. यह ध्यान दिया जाता है कि पाटन रोधो नियमों के अनुलग्नक- I के अनुच्छेद 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण के तीन तरीके निर्धारित

किए गए हैं: (ए) बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) भारत सहित किसी तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यात मूल्य; और (सी) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकरण नोट करता है कि पाटन रोधो नियमों के अनुलग्नक -1 के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य पहले एक सरोगेट देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

36. आवेदन दाखिल करने के चरण में, घरेलू उद्योग ने एक निर्मित सामान्य मूल्य पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य की एक गणना प्रस्तुत की, यह देखते हुए कि संबंधित वस्तुओं के सभी प्रमुख स्रोतों की जांच चल रही थी। जांच की शुरुआत के बाद, न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी भी इच्छुक पार्टियों ने विचार के लिए सरोगेट देश का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, यह देखा गया है कि पीयूसी के लिए कोई समर्पित हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड नहीं है. संबंधित देशों से अन्य क्षेत्राधिकारों को निर्यात आंकड़ों के अभाव में, प्राधिकरण चीन से अन्य देशों को संबंधित वस्तुओं के निर्यात के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ रहा है। नतीजतन, अपर्याप्त उपलब्ध जानकारी के प्रकाश में, प्राधिकरण ने प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित तीसरी विधि का उपयोग करके सामान्य मूल्य का निर्माण करने का विकल्प चुना है, विशेष रूप से किसी अन्य उचित आधार पर भरोसा करते हुए, जिसमें वास्तव में भुगतान किया गया या भारत में देय मूल्य शामिल है।

37. इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभों में युक्तिसंगत वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार किया है।

<u>चीन से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य</u>

क. चीन से Xinyi समूह संस्थाओं के मामले में निर्यात मूल्य

38. प्राधिकरण नोट करता है कि शिनयी समूह की चार संस्थाओं, अर्थात् गुआंग्शी शिन्यी फोटोवोल्टिक उद्योग कं, लिमिटेड, शिन्यी पीवी प्रोडक्ट्स (अनहुई) होल्डिंग्स लिमिटेड, शिनयी सोलर (सूज़ौ) लिमिटेड और ज़िन्यी सोलर (हांगकांग) लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है। उनके प्रत्युत्तरों से यह पता चलता है कि गुआंग्शी शिनयी फोटोवोल्टिक उद्योग कं, लिमिटेड और शिनयी सोलर (सूज़ौ) लिमिटेड ने संबंधित वस्तुओं का निर्यात सीधे भारत को और शिनयी पीवी प्रोडक्ट्स (अनहुई)

होल्डिंग्स लिमिटेड और शिनयी सोलर (हांगकांग) लिमिटेड के माध्यम से भी किया है। ज़िन्यी पीवी प्रोडक्ट्स (अन्हुई) होल्डिंग्स लिमिटेड ने भी सीधे भारत को और ज़िन्यी सोलर (हांगकांग) लिमिटेड के माध्यम से भी संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकरण ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है। निर्यातकों ने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, ऋण लागत, बैंक शुल्क आदि के कारण समायोजन का दावा किया है और इन्हें इस स्तर पर प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, अंतिम स्वीकृति जांच की आगे की प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगी। सीएनवी और शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना उचित तुलना के लिए लेपित और अनकोटेड पीयूसी के लिए अलग-अलग की गई है और फिर भारित औसत निर्धारित किया गया है जो पाटन मार्जिन तालिका में नीचे उल्लिखित है।

ख.चीन से किबिंग समूह की संस्थाओं के मामले में निर्यात मूल्य

39. प्राधिकरण नोट करता है कि किबिंग समूह की चार संस्थाओं, अर्थात्, हुनान किबिंग सौर प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड, झांगझोउ किबिंग फोटोवोल्टिक नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड, निंगबो किबिंग फोटोवोल्टी प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड और झेजियांग निंगहाई किबिंग न्यू एनर्जी मैनेजमेंट कं, लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर की हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं से, यह नोट किया गया है कि तीन कंपनियों हुनान किबिंग सौर प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड, झांगझोउ किबिंग फोटोवोल्टिक नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड, Ningbo Kibing फोटोवोल्टी प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड ने झेजियांग Ninghai Kibing नई ऊर्जा प्रबंधन कं, लिमिटेड के माध्यम से विषय वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकरण ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, ऋण लागत, बैंक शुल्क आदि के कारण समायोजन का दावा किया है और इन्हें इस स्तर पर प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, अंतिम स्वीकृति जांच की आगे की प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगी। सीएनवी और शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना उचित तुलना के लिए लेपित और अनकोटेड पीयूसी के लिए अलग-अलग की गई है और फिर भारित औसत निर्धारित किया गया है जो पाटन मार्जिन तालिका में नीचे उल्लिखित है।

ग. चीन से फ्लैट ग्लास ग्रुप के मामले में निर्यात मूल्य

40. प्राधिकरण नोट करता है कि फ्लैट ग्लास ग्रुप की तीन संस्थाओं, अर्थात् अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कं, लिमिटेड, फ्लैट ग्लास ग्रुप कं, लिमिटेड और फ्लैट (हांगकांग) कं, लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर की हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं से, यह नोट किया गया है कि अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कं, लिमिटेड, फ्लैट ग्लास ग्रुप कं, लिमिटेड ने फ्लैट (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से विषय वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकरण ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, ऋण लागत, बैंक शुल्क आदि के कारण समायोजन का दावा किया है और इस स्तर पर इन्हें प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, अंतिम स्वीकृति जांच की आगे की प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगी। सीएनवी और शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना उचित तुलना के लिए लेपित और अनकोटेड पीयूसी के लिए अलग-अलग की गई है और फिर भारित औसत निर्धारित किया गया है जो पाटन मार्जिन तालिका में नीचे उल्लिखित है।

घ. चीन से टॉप्रे ग्रुप के मामले में निर्यात मूल्य

41. प्राधिकरण नोट करता है कि टोप्रे समूह की दो संस्थाओं, अर्थात् शेन्ज़ेन टोप्रे सोलर कं, लिमिटेड और शानक्सी टोप्रे सोलर कं, लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है। उनकी प्रतिक्रियाओं से, यह ध्यान दिया जाता है कि शेन्ज़ेन टोप्रे ने शानक्सी टोप्रे सोलर कं, लिमिटेड के माध्यम से विषय वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकरण ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क आदि के कारण समायोजन का दावा किया है और इन्हें इस स्तर पर प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, अंतिम स्वीकृति जांच की आगे की प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगी। सीएनवी और शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना उचित तुलना के लिए लेपित और अनकोटेड पीयूसी के लिए अलग-अलग की गई है और फिर भारित औसत निर्धारित किया गया है जो पाटन मार्जिन तालिका में नीचे उल्लिखित है।

ङ. चीन से अनहुई सीएसजी नई ऊर्जा सामग्री प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड के मामले में निर्यात मूल्य

42. प्राधिकरण अनहुई सीएसजी न्यू एनर्जी मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की प्रश्नावली प्रतिक्रिया से नोट करता है कि पीओआई के दौरान इसने सीधे भारत को संबंधित

वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकरण ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन का दावा किया है और इन्हें इस स्तर पर प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, अंतिम स्वीकृति जांच की आगे की प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगी। सीएनवी और शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना उचित तुलना के लिए लेपित और अनकोटेड पीयूसी के लिए अलग-अलग की गई है और फिर भारित औसत निर्धारित किया गया है जो पाटन मार्जिन तालिका में नीचे उल्लिखित है।

च. चीन से डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड के मामले में निर्यात मूल्य

43. प्राधिकरण डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कं, लिमिटेड की प्रश्नावली प्रतिक्रिया से नोट करता है कि पीओआई के दौरान इसने सीधे भारत को संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकरण ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क आदि के कारण समायोजन का दावा किया है और इन्हें इस स्तर पर प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, अंतिम स्वीकृति जांच की आगे की प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगी। सीएनवी और शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना उचित तुलना के लिए लेपित और अनकोटेड पीयूसी के लिए अलग-अलग की गई है और फिर भारित औसत निर्धारित किया गया है जो पाटन मार्जिन तालिका में नीचे उल्लिखित है।

छ. चीन से वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड के मामले में निर्यात मूल्य

44. प्राधिकरण वुजियांग सीएसजी ग्लास कं, लिमिटेड की प्रश्नावली प्रतिक्रिया से नोट करता है कि पीओआई के दौरान इसने सीधे भारत को संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकरण ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क आदि के कारण समायोजन का दावा किया है और इन्हें इस स्तर पर प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, अंतिम स्वीकृति जांच की आगे की प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगी। सीएनवी और शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना उचित तुलना के लिए लेपित और अनकोटेड पीयूसी के लिए अलग-

अलग की गई है और फिर भारित औसत निर्धारित किया गया है जो पाटन मार्जिन तालिका में नीचे उल्लिखित है।

चीन जन. गण. से सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

45. चीन से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

वियतनाम से फ़्लैट (वियतनाम) सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड, के लिए सामान्य मूल्य

46. प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकरण नोट करता है कि मैसर्स फ्लैट (वियतनाम) सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड संबंधित वस्तुओं का उत्पादक है और उसने फ्लैट (हांगकांग) कंपनी लि के माध्यम से पीओआई के दौरान भारत को संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है।

47. निर्यातक ने घरेलू बाजार में *** एमटी पीयूसी बेची है, जबकि इसने पीओआई के दौरान फ्लैट (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भारत को *** एमटी संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकरण ने पहले इस बात की जांच की है कि निर्यातक देश में संबंधित उत्पादक/निर्यातक द्वारा की गई संबंधित वस्तुओं की कुल बिक्री की तुलना में संबंधित देश में संबंधित वस्तुओं की कुल बिक्री प्रतिनिधिक थी या नहीं। तत्पश्चात्, यह जांच की गई थी कि क्या उनकी बिक्री पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के अनुसार सामान्य व्यापार प्रक्रिया के अंतर्गत है। प्राधिकरण ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है। तथापि, अंतिम स्वीकृति जांच की अगली प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त उत्पादक/निर्यातक के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगी।

48. प्राधिकरण ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ये बिक्री व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में थी, विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत से संबंधित सभी घरेलू बिक्री लेनदेन की जांच की। सामान्य मूल्य स्थापित करने के लिए, प्राधिकरण ने लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन की पहचान करने के लिए एक परीक्षण किया। यदि इनमें से 80% से अधिक लेनदेन लाभदायक हैं, तो सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया जाता है। यदि लाभदायक लेनदेन 80% से कम होते हैं, तो केवल उन लाभदायक बिक्री पर विचार किया जाता है। इस मामले में, चूंकि 80% से अधिक बिक्री मात्रा से लाभदायक थी, इसलिए सभी घरेलू बिक्री को सामान्य मूल्य

के निर्धारण में शामिल किया गया था। अंतर्देशीय भाड़ा, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के लिए निर्माता के दावों को कारखाने के बाद के खर्चों के रूप में प्राधिकरण द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। सामान्य मूल्य की गणना उचित तुलना के लिए कोटेड और अनकोटेड पीयूसी के लिए अलग-अलग की गई है और फिर भारित औसत निर्धारित किया गया है जिसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन टेबल में किया गया है।

फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

49. प्राधिकरण नोट करता है कि फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड ने पीओआई के दौरान फ्लैट (हांगकांग) के माध्यम से भारत को संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकरण ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, ऋण लागत, बैंक शुल्क आदि के कारण समायोजन का दावा किया है और इन्हें इस स्तर पर प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, अंतिम स्वीकृति जांच की आगे की प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के विस्तृत सत्यापन पर आधारित होगी। शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना उचित तुलना के लिए कोटेड और अनकोटेड पीयूसी के लिए अलग-अलग की गई है और फिर भारित औसत निर्धारित किया गया है जिसका उल्लेख नीचे पाटन माजन तालिका में किया गया है।

वियतनाम से सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य

50. सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

च**3.3.** पाटन मार्जिन

51. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

निर्माता	निर्यात मूल्य (यूएसडी/एमटी)	सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी))	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (श्रेणी)
चीन					
शानक्सी टोप्रे सोलर कंपनी लिमिटेड / शेन्ज़ेन टोप्रे सोलर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
एन्हुई फ्लैट सोलर ग्लास / फ्लैट ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड कंपनी फ़्लैट (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड	***	***	***	***	55-65
अनहुई सीएसजी न्यू एनर्जी मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
ज़िन्यी ग्रुप: गुआंग्शी ज़िन्यी फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री कं, लिमिटेड / ज़िन्यी सोलर (सूज़ौ) लिमिटेड / ज़िन्यी सोलर (हांगकांग) लिमिटेड	***	***	***	***	60-70

निर्माता	निर्यात मूल्य (यूएसडी/एमटी)	सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी))	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (श्रेणी)
झांगझोउ किबिंग फोटोवोल्टिक न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड किबिंग ग्रुप/ निंगबो किबिंग फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
अन्य	***	***	***	***	80-90
वियतनाम	***	***	***	***	
फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड/ फ्लैट (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
अन्य	***	***	***	***	30-40

छ. क्षति और कारण लिंक का आकलन

छ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार

52. अन्य इच्छुक पार्टियों ने क्षति और कारण लिंक के संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

53. क्षति और कारण लिंक के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं;

I. घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की उपस्थिति के बावजूद, आयात पूरे बाजार पर हावी है। जांच अवधि के दौरान विषय देशों से किए गए आयातों में बाजार हिस्सेदारी ***% होती है

II. जांच की अवधि में विषय देश से आयात की मात्रा भारतीय उत्पादन का *** गुना थी, बावजूद इसके कि भारतीय बाजार में नई क्षमताएं जोड़ी जा रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि घरेलू उद्योग को बाहर निकालने के लिए निर्यातकों की भारतीय बाजार में भरमार है।

III. पाटित किए गए आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं, और जांच की अवधि के दौरान अंडरकटिंग काफी सकारात्मक है।

IV. विषय आयातों से घरेलू उद्योग के मूल्यों पर लगातार दबाव पड़ा है क्योंकि संपूर्ण आंग्नि अवधि के दौरान उनके मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम थे।

V. जांच की अवधि में, संबंधित माल का भू-मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री मूल्य की लागत से कम था। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर मूल्य दबाव को दर्शाता है।

VI. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी प्रभाव पड़ा है।

VII. भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा मात्र ***% है।

VIII. पाटित आयातों के लगातार दबाव के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का पर्याप्त निपटान नहीं कर पाया है। नतीजतन, घरेलू उद्योग को माल जमा होने से बचने के लिए अपनी माल-सूची का निपटान करने के लिए निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

IX. जांच की अवधि में आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में करीब *** फीसदी की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को भी महत्वपूर्ण नकद नुकसान और ***% के नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ा है। यह किसी भी मानकों से पर्याप्त है।`

X. घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि पहल के बाद, उनके घाटे में काफी वृद्धि हुई और आयात में भी वृद्धि हुई।

XI. वर्तमान मामले में अंतरिम शुल्क लगाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्योंकि घरेलू उद्योग वांछित स्तर तक पहुंचने के अलावा, अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है।

छ.3 <u>प्राधिकरण द्वारा</u> समीक्षा

54. अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं। पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी

प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए। मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक समळाा जाता है कि क्या भारत में इसी प्रकार की वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्य में उल्लेखनीय कमी की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा मूल्यों को काफी हद तक कम करने अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है। जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए हुआ होगा। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन का परिमाण और माजन आदि पर पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार विचार किया गया है।

55. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में इच्छुक पाटयों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकरण द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण के तहत इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है।

छ.3.1 <u>क्षति का संचयी मूल्यांकन</u>

56. डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 3.3 और नियमों के अनुलग्नक II के अनुच्छेद (iii) में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयात को एक साथ पाटन रोधी जांच के अधीन किया जा रहा है, प्राधिकरण संचयी रूप से ऐसे आयातों के प्रभाव का आकलन करेगा, यदि यह निर्धारित करता है कि:
    क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है, और
    ख. आयातित वस्तुओं और इसी प्रकार की घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

57. प्राधिकरण नोट करता है कि:
    क. विषय वस्तुओं को संबंधित देशों से भारत में डंप किया जा रहा है। प्रत्येक विषय देश से पाटन का माजन नियमों के *अंतर्गत निर्धारित* न्यूनतम सीमा से अधिक है।
    ख. प्रत्येक देश से आयात की मात्रा व्यक्तिगत रूप से आयात की कुल मात्रा के 3% से अधिक है ।

ग. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबंधित देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तावित समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जाने वाली वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

58. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण यह मानता है कि चीन जनगण और वियतनाम से संबंधित वस्तुओं के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना उपयुक्त है।

छ.3.2 पाटित किए गए आयातों का आयतन प्रभाव

क) <u>मांग/स्पष्ट खपत का आकलन</u>

59. प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे सारणी में दी गई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
विषय देश	एमटी	**29,980**	**106,464**	**312,595**	**779,017**
चीन	एमटी	29,324	28,372	209,317	659,732
वियतनाम	एमटी	656	78,093	103,277	119,285
अन्य आयात	एमटी	128,819	91,972	82,930	16,537
कुल आयात	एमटी	158,799	198,436	395,524	795,555
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	0	0	0	***
कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***

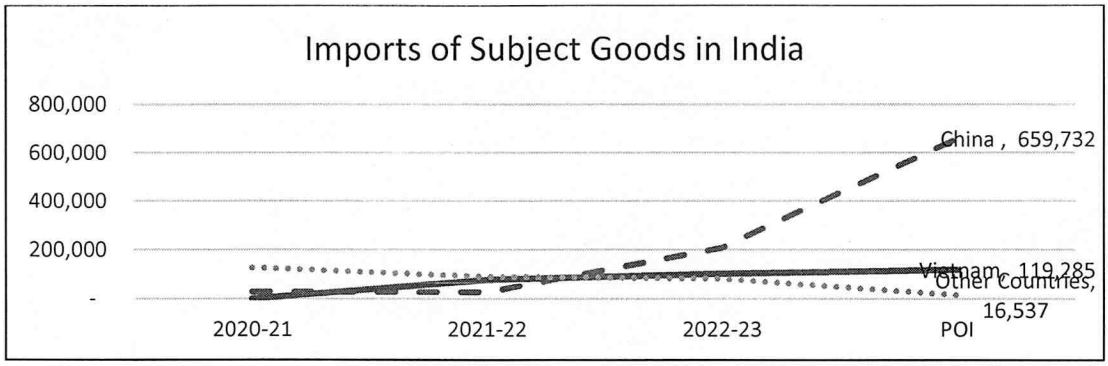

60. प्राधिकरण उपरोक्त तालिका और ग्राफ से निम्नलिखित को देखता है और नोट करता है:

क. विषय देशों से आयात: पिछले कुछ वर्षों में संबंधित देशों (चीन और वियतनाम सहित) से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2020-21 में 29,980 मीट्रिक टन से शुरू होकर, वे पीओआई (जांच की अवधि) के दौरान बढ़कर 779,017 मीट्रिक टन हो गए।

ख. चीन का योगदान: चीन से आयात वर्ष 2020-21 में 29,324 मीट्रिक टन से बढ़कर पीओआई के दौरान 659,732 मीट्रिक टन हो गया।

ग. वियतनाम का योगदान: वियतनाम से आयात वर्ष 2020-21 में 656 मीट्रिक टन से बढ़कर पीओआई में 119,285 मीट्रिक टन हो गया, जो वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के बीच उच्चतम स्पाइक है।

घ. अन्य आयात: समय के साथ संबंधित देशों के बाहर अन्य स्रोतों से आयात में कमी आई, जो वर्ष 2020-21 के 128,819 मीट्रिक टन से शुरू होकर पीओआई के दौरान 16,537 मीट्रिक टन हो गया।

ङ. कुल आयात: संबंधित देशों से आयात में वृद्धि को दर्शाते हुए, कुल आयात वर्ष 2020-21 में 158,799 मीट्रिक टन से बढ़कर पीओआई में 795,555 मीट्रिक टन हो गया, जो संबंधित देशों से आयात की ओर बदलाव का संकेत देता है।

च. घरेलू उद्योग की बिक्री: घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा पहले तीन वर्षों में अपेक्षाकृत स्थिर रही, *** मीट्रिक टन से *** मीट्रिक टन के बीच और पीओआई के दौरान *** मीट्रिक टन तक बढ़ गई।

छ. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री: 2020-21 से 2022-23 तक अन्य घरेलू उत्पादकों के लिए कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई। पीओआई के दौरान *** एमटी की बिक्री की गई थी।

ज. कुल मांग/खपत: समग्र बाजार मांग या खपत पूरी अवधि में ऊपर की ओर रही है, जो 2020-21 में *** मीट्रिक टन से बढ़कर पीओआई के दौरान *** मीट्रिक टन हो गई है, जो बाजार गतिविधि में वृद्धि का संकेत देती है।

ख) <u>विषय देशों से आयात मात्रा</u>

61. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकरण को इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष पर्याप्त वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने लेनदेन-वार आयात डेटा पर भरोसा किया है। संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात की मात्रा और क्षति की जांच अवधि के दौरान पाटित किए गए आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन	एमटी	29,324	28,372	209,317	659,732
वियतनाम	एमटी	656	78,093	103,277	119,285
अधीन देशों से आयात	एमटी	29,980	106,464	312,595	779,017
अन्य देश	एमटी	128,819	91,972	82,930	16,537
कुल आयात	एमटी	158,799	198,436	395,524	795,555
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
उत्पादन	अनुक्रमित	100	118	129	209
मांग/उपभोग	एमटी	***	***	***	***
खपत	अनुक्रमित	100	120	203	411
विषय आयात के संबंध में:					
कुल आयात	%	19%	54%	79%	98%
उत्पादन	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	300	808	1245
मांग/उपभोग	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	297	514	633

62. उपरोक्त से, प्राधिकरण नोट करता है कि-

    क. पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आयात में काफी वृद्धि हुई है।

ख. जांच की अवधि के दौरान 98% की हिस्सेदारी के साथ, विषय देशों से आयात देश में आयात का लगभग संपूर्ण हिस्सा है।

ग. उत्पादन के संबंध में आयात पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में पीओआई में अधिक था।

घ. विषय आयात निरपेक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से बढ़ा है और पीओआई में उच्चतम है।

छ.3.3 पाटित किए गए आयातों का मूल्य प्रभाव

63. नियमों के अनुलग्नक II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकरण को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में इस तरह के उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित किए गए आयात द्वारा एक महत्वपूर्ण मूल्य कम कटौती की गई है, या क्या इस तरह के आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी हद तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए हुआ होगा।

क) कीमत में कटौती

64. जांच की अवधि के लिए आयातों के उतराई मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना करके मूल्य अंडरकटिंग का निर्धारण किया गया है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
निवल विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
लैंडेड प्राइस	₹/एमटी	48,072	47,848	45,606	42,872
कीमत में कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
श्रेणी	श्रेणी	0-10	10-20	15-25	0-10

65. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे।

ख) **मूल्य दमन/मंदी**

66. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू मूल्यों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव मूल्यों को काफी हद तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य स्थिति में होती, लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे की गई थी ।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत (घरेलू)	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	119	105
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	111	93
लैंडेड प्राइस	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	95	89

67. प्राधिकरण उपर्युक्त से नोट करता है कि आयात का भू-मूल्य क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम था।

68. जांच की अवधि के दौरान, संबंधित वस्तुओं का अवतरण मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और इसके घरेलू बिक्री मूल्यों से कम रहा। इसने घरेलू उद्योग को बिक्री की लागत के अनुरूप अपनी कीमत रखने से रोक दिया। अत यह नोट किया जाता है कि आयातों ने मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हो सकती थी। इस प्रकार, आयातों का घरेलू उद्योग के मूल्यों पर दमनकारी प्रभाव पड़ा है।

छ.3.4 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मीटर</u>

69. पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II में अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में संबंधित वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आथक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश

बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा

70. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे -

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	128	232
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	115	125	199
उत्पादन-पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	118	129	209
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	98	86
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	107	188
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	153	210	271
मांग/उपभोग	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	120	203	411

71. उपरोक्त से, प्राधिकरण नोट करता है कि:

क. घरेलू उद्योग ने भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षति की जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग संस्थापित क्षमता का ***% था। इसका अर्थ यह है कि संपत्त वस्तुओं की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद स्थापित क्षमता का लगभग ***% अप्रयुक्त रहा।

ख. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री विषय वस्तुओं की कुल मांग की तुलना में नगण्य (लगभग ***%) है।

ग. रिकार्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अन्य उत्पादकों के पास *** एमटी की संयुक्त क्षमता है। आवेदक उद्योग के साथ भारत में कुल उपलब्ध क्षमता इस प्रकार है:

विवरण	क्षमता	बिक्री	आयात - कुल	कुल मांग
उत्पादन (एमटी)				
आवेदक (मीट्रिक टन)	***	***		
गोबिंद ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमटी)	***	***		
त्रिवेणी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (एमटी)	***	***		
विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड (एमटी)	***	***		
गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड (एमटी)	***	***		
इमर्ज ग्लास (एमटी)	***	***		
कुल (मीट्रिक टन)	***	***	***	***

घ. उपरोक्त से, यह ध्यान दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय उत्पादकों की भारतीय मांग का लगभग ***% से ***% है। इसके अलावा, जैसा कि भारतीय उद्योगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ खिलाड़ियों ने पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति के बाद चीन से आयात की आमद के कारण अपनी मशीनरी की स्थापना में देरी की है।

ख) बाजार हिस्सेदारी

72. घरेलू उद्योग और आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई थी:

बाज़ार हिस्सेदारी	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	107	188

बाज़ार हिस्सेदारी	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-	-	-	100
कुल भारतीय बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	107	225
विषय देशों से आयात	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	355	1,043	2,598
अन्य देशों से आयात	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	71	64	13
कुल आयात	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	125	249	501
भारत में मांग	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	120	203	411
बाज़ार हिस्सेदारी					
घरेलू उद्योग	%-	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	53	46
अन्य उत्पादक उद्योग	%-				***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-	-	-	100
भारतीय निर्माता	%-	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	53	55
विषय आयात	%-	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	292	500	615
अन्य देश आयात	%-	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	60	31	4

73. यह नोट किया गया है कि मांग के लगभग ***% की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल ***% है। जांच की अवधि के दौरान ***% हिस्से के साथ संबंधित देशों से आयात पूरे क्षति की अवधि के दौरान भारतीय बाजार पर हावी रहा है।

ग) **इन्वेंटरी**

74. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआ
ओपनिंग इन्वेंटरी	एमटी	***	***	***	***
क्लोजिंग इन्वेंटरी	एमटी	***	***	***	***
औसत इन्वेंटरी	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	104	289	405

75. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत सूची में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान औसत इन्वेंट्री सबसे अधिक थी।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर वापसी

76. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर लाभ और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत (घरेलू)	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	119	105
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	111	93
लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	-56	-236	-269
लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	-61	-253	-505
नकद लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	-43	-316	-633
निवेश पर वापसी	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	-83	-269	-453

77. उपरोक्त से, प्राधिकरण नोट करता है कि:

क. घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में वर्ष 2021-22 और 2022-23 की तुलना में पीओआई में गिरावट आई है।

ख. पीओआई के दौरान, घरेलू उद्योग की लागत में गिरावट आई, हालांकि, बिक्री मूल्य में गिरावट तेज थी। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि इससे उनकी स्थिति और खराब हो गई है।

ग. आवेदक को हानि और नकद हानि हुई है और जांच की अवधि के दौरान निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल भुगतना पड़ रहा है।

ङ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

78. प्राधिकरण ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	सं	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	125	172	177
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	153	118	115
वेतन और मजदूरी	रु/सं	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	122	68	65
प्रति दिन उत्पादकता	मीट्रिक टन/दिन	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	118	129	209
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	75	118

79. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि घरेलू उद्योग ने बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि की है। यह भी नोट किया गया है कि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है जो दर्शाता है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

80. कर्मचारियों को भुगतान किया गया वेतन लगभग ***% तक कम हो गया अर्थात् आधार वर्ष में 100 अनुक्रमित प्वाइंट्स से जांच की अवधि में 65 अनुक्रमित प्वाइंट

हो गया, जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार इस पर पाटन के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

च) वृद्धि

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
मांग - एमटी	%		***	***	***
उत्पादन - एमटी	%	-	***	***	***
घरेलू बिक्री - एमटी	%		***	***	***
बाजार में हिस्सेदारी%	%		***	***	***
घरेलू बिक्री - रु/एमटी	%	-	***	***	***
लाभ/हानि - रु/एमटी	%	-	***	***	***
नकद लाभ - रु/एमटी	%	-	***	***	***
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल %	%	-	***	***	***

81. उपरोक्त से, प्राधिकरण नोट करता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान संबंधित वस्तुओं की मांग में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। जांच की अवधि में लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर आय काफी नकारात्मक थी जो जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को दर्शाती है।

छ) पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रभाव

82. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसे भारी नुकसान हुआ है और नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ रहा है। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईडीटीए) से पहले की कमाई क्षति की अवधि में लगातार खराब हुई है और नकारात्मक बनी हुई है। आवेदक ने आगे प्रस्तुत किया है कि नकारात्मक ईबीआईडीटीए से पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर रहा है और पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

83. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अपने मूल्यों में लाभकारी स्तर तक वृद्धि नहीं कर पाया है। आयात ने घरेलू उद्योग को लागत से कम मूल्य पर माल बेचने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा, कम कीमत वाले

आयात के परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी भी कम हुई है, और क्षमता का कम उपयोग किया गया है। इस प्रकार, विषयगत आयातों ने घरेलू उद्योग के मूल्यों को प्रभावित किया है।

झ) पाटन का परिमाण

84. विषय देशों से संबंधित वस्तुओं का काफी अधिक पाटन होता है जिससे बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।

छ.3.5 <u>क्षति का समग्र मूल्यांकन</u>

85. विषय उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की अनंतिम परीक्षा से पता चलता है कि:

I. इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग में भारतीय मांग का लगभग ***% पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, आयात बाजार पर हावी है।
II. क्षति की जांच अवधि के दौरान आयात में वृद्धि हुई है। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान वृद्धि तेज थी।
III. आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन से ***% अधिक है और भारतीय बाजार का ***% है।
IV. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात में अधीन देशों से आयात 98% होता है।
V. विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। जांच की अवधि के दौरान मूल्य कम कटौती सकारात्मक और पर्याप्त है।
VI. आयातों ने घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हो सकती थी।
VII. मांग में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा केवल ***% है जो काफी कम है जब घरेलू उत्पादक भारतीय मांग के लगभग ***% को पूरा कर सकते हैं।
VIII. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसतन माल-सूची बहुत अधिक होती है।
IX. घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है। जांच की अवधि के दौरान नकद घाटे और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न के साथ घरेलू उद्योग को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
X. आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
XI. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

86. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

छ3.6 <u>गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण और कारण लिंक</u>

87. घरेलू उद्योग के मूल्यों पर पाटित आयातों की हानि, मात्रा और मूल्य प्रभाव की जांच करने के बाद प्राधिकरण ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

88. यह नोट किया जाता है कि गैर-विषयक देशों से आयात न्यूनतम स्तर से नीचे हैं। भारत में होने वाले आयात में इन देशों से होने वाले आयात की हिस्सेदारी लगभग 98% है। इसलिए, क्षति के लिए तीसरे देशों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ख) माँग में संकुचन

89. प्राधिकरण नोट करता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान विषय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंची है।

ग) उपभोग का प्रतिरूप

90. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत पद्धति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की शर्तें

91. प्राधिकरण नोट करता है कि प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की स्थितियों का कोई सबूत नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा किए गए नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

ङ) **प्रौद्योगिकी में विकास**

92. प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं किया गया है जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता था।

च) **उत्पादकता**

93. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति की अवधि में बढ़ी है। इसलिए, घरेलू उद्योग को इस कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है।

छ) **घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन**

94. ऊपर जांच की गई क्षति सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने केवल *** मीट्रिक टन का निर्यात किया है, जो उनके कुल उत्पादन का ***% है। इस प्रकार, हुई क्षति का श्रेय घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को नहीं दिया जा सकता।

ज) **अन्य उत्पादों का प्रदर्शन**

95. प्राधिकरण ने केवल संबंधित वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को नुकसान का संभावित कारण नहीं है।

छ3.7 <u>कारण लिंक पर निष्कर्ष</u>

96. जबकि नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंची है, प्राधिकरण नोट करता है कि निम्नलिखित पैरामीटर दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण होती है।

I. संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं का पाटन होता है।

II. जांच की अवधि में आयात की मात्रा सबसे अधिक रही है। विषय देशों से आयात कुल आयातों का 98% और मांग में बाजार हिस्सेदारी का लगभग ***% है।

III. घरेलू उद्योग की खपत और उत्पादन के संबंध में आयात की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

IV. विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को काफी कम कर रहे हैं।

V. पाटित की गई कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पैदा किया है, जिससे मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है, जो अन्यथा हो सकता था।

VI. घरेलू उद्योग ने कुल संस्थापित क्षमता के केवल ***% की क्षमता का अत्यधिक अल्प उपयोग किया है ।

VII. भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री कम रही है, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी केवल ***% है।

VIII. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान घाटा और नकद घाटा हुआ है। यहां तक कि जांच की अवधि में निवेश पर रिटर्न भी नकारात्मक रहा है।

97. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालता है कि संबंधित वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ज.1. <u>अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

98. अन्य इच्छुक पार्टियों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

ज.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

99. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं

I. घरेलू उद्योग में भारतीय मांग का लगभग ***% पूरा करने की क्षमता है।

II. यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के अलावा, पांच और उत्पादकों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए हैं।

III. यदि मौजूदा स्थिति जारी रहती है, तो घरेलू उद्योग के पास अपने परिचालन और भारत को स्थायी रूप से बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और यह एक बार फिर आयात पर निर्भर हो जाएगा।

IV. बढ़ते व्यापार घाटे के प्रकाश में, घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर अधिक भरोसा करना महत्वपूर्ण है। शुल्क अधिरोपण से भुगतान खाते के संतुलन के पक्ष में निवर्तमान विदेशी मुद्रा के संरक्षण की अनुमति मिलेगी।

V. सौर मॉड्यूल की लागत की तुलना में संबंधित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव नगण्य होगा।

VI. चूंकि बाजार में पहले से ही छह खिलाड़ी हैं और कुछ और उत्पादन शुरू करने वाले हैं, इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में कोई एकाधिकार नहीं है और उपयोगकर्ताओं के पास घरेलू बाजार में भी पर्याप्त स्रोत होंगे।

VII. विचाराधीन उत्पाद का आयात अन्य स्त्रोतों से भी उचित मूल्य पर किया जा सकता है और इसलिए प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

ज.3 <u>प्राधिकरण द्वारा समीक्षा</u>

100. प्राधिकरण इस बात को रेखांकित करता है कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अन्यायपूर्ण व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को सुधारना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार हो सके। पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य माध्यतापूर्ण रूप से विषय देशों से आयातों में कमी करना नहीं है। बल्कि, यह पाटन क्षति और दोनों के बीच कारण लिंक के बारे में एक विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है और एक स्तर के खेल को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। प्राधिकरण स्वीकार करता है कि पाटन रोधी कर्तव्यों की उपस्थिति भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों को लागू करने से सुरक्षित रहेगा। घटती प्रतिस्पर्धा से दूर, पाटन रोधीउपायों को लागू करने से पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभों के संचय को रोकने का कार्य किया जाता है। यह विषय वस्तुओं के व्यापक चयन के लिए उपभोक्ताओं की पहुंच की रक्षा करता है। इस प्रकार, पाटन रोधीशुल्क एक बाधा नहीं है, बल्कि निष्पक्ष-व्यापार प्रथाओं का एक सूत्रधार है।

101. प्राधिकरण ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी इच्छुक पाटयों से विचार आमंत्रित करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पणधारकों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित चल रही जांच से संबंधित संगत सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए आथक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी।

102. प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूतकर्ताओं द्वारा आपूत किए गए उत्पाद की विनिमेयता के संबंध में सूचना मांगी थी। (ग) सरकार ने विभिन्न घटकों अर्थात् स्त्रोतों को बदलने की घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, ऐसे कारक जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति में समायोजन में तेजी लाने अथवा विलंब होने की संभावना है।

103. प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित वस्तुओं का कोई भी उपयोगकर्ता प्राधिकरण के समक्ष भाग लेने के लिए आगे नहीं आया है या आर्थिक हित प्रश्नावली का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, किसी भी पक्ष ने लागू कर्तव्यों के प्रतिकूल प्रभाव को इंगित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। हितधारकों की भागीदारी और साक्ष्य की कमी प्राधिकरण की स्थिति को रेखांकित करती है और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए पाटन रोधीउपायों की आवश्यकता को पुष्ट करती है।

104. तथापि, प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान बाजार मूल्यों के आधार पर घरेलू उद्योग ने अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों के संभावित प्रभाव का अनुमान निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध कराया है:

विवरण	**संदर्भ**	**यूओएम**	**कुल धनराशि**
M10 सौर मॉड्यूल पर आधारित 540 Wp सौर मॉड्यूल की कीमत	ए	रु /मॉड्यूल	***
M10 सौर सेल्स पर आधारित 540 Wp सौर मॉड्यूल में उपयोग किए जाने वाले विषय सामान	बी	किग्रा/मॉड्यूल	***
विषय वस्तुओं की कीमत - लेपित	सी	रु/किग्रा	***

M10 सौर सेल्स पर आधारित 540 Wp सौर मॉड्यूल में निर्मित विषय वस्तुओं की लागत	डी = सी*बी	रु/एमटी	***
मॉड्यूल में विषय वस्तुओं की % लागत	ई = डी/ए	%	***
संबंधित वस्तुओं पर 25% पाटन रोधी शुल्क के कारण मॉड्यूल पर अतिरिक्त लागत	एफ = डी * 25%	रु/एमटी	***
पाटन रोधी शुल्क जोड़ने वाले मॉड्यूल में विषय वस्तुओं की कुल लागत	जी = डी + एफ	रु/एमटी	***
मॉड्यूल के साथ विषय वस्तुओं की % लागत	एच= जी/ए	%	***
पाटन रोधी कर्तव्यों के कारण प्रति सोलर मॉड्यूल अतिरिक्त प्रभाव	आई= एफ /ए	%	2.52%

105. उपरोक्त सबमिशन से प्राधिकरण नोट करता है कि अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटन रोधीशुल्क का प्रभाव नगण्य होगा।

106. प्राधिकरण नोट करता है कि पाटन रोधी शुल्क लगाने से भारत में संबंधित वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह ध्यान दिया जाता है कि पाटन रोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। अत शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

107. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक ने पीओआई के बाद की अवधि में पीयूसी के घरेलू उत्पादकों द्वारा सामना की गई पर्याप्त कठिनाइयों को दर्शाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। विशेष रूप से, डेटा आयात की मात्रा में खतरनाक वृद्धि और आयात की कीमतों में भारी गिरावट का खुलासा करता है, जो आयात की आक्रामक प्रकृति को रेखांकित करता है जिसने भारतीय बाजार को कम लागत वाले उत्पादों से भर दिया है।

108. पीओआई के लगभग *** मीट्रिक टन के औसत दैनिक आयात से, आयात की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है, जो सितंबर 2024 तक प्रति दिन *** मीट्रिक टन तक पहुंच गई है - एक चौंका देने वाला ***% वृद्धि। समवर्ती रूप से, सीआईएफ की कीमतें कम हो गई हैं, प्रति मीट्रिक टन की कीमत पीओआई के दौरान औसतन रु. ***से घटकर सितंबर 2024 में रु. ***हो गई है, जो लगभग ***% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करती है. यह गिरावट अक्टूबर में जारी रही, कीमतों में अभूतपूर्व रूप से *** रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई, जो पीओआई कीमतों से ***% की महत्वपूर्ण कमी का संकेत देता है।

109. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि आवेदक ने संदर्भ मूल्य-आधारित कर्तव्यों के लिए अनुरोध किया है और तर्क दिया है कि इस तरह के कर्तव्यों से न केवल हानिकारक प्रभावों को कम किया जाएगा, बल्कि एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी परिदृश्य भी स्थापित किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उचित मूल्य वाले निर्यातकों पर बोझ डाले बिना घरेलू उद्योग को लगातार, कम कीमत वाले आयातों से बचाने के लिए कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से लक्षित किया जाए।

110. प्राधिकरण मानता है कि उपर्युक्त आथक मानदंड गंभीर क्षति के सूचक हैं, जिसके लिए ठोस उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है।

झ. <u>क्षति मार्जिन का परिमाण</u>

111. प्राधिकरण ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए अहानिकारक मूल्य निर्धारित किए हैं। विचाराधीन उत्पाद का गैर-हानिकारक मूल्य जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति माजन की गणना करने के लिए संबंधित देश से अवतरण मूल्य की तुलना करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि में कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग करने पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर @ 22%) को नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने के लिए पूर्व-कर लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और इसका पालन किया जा रहा था।

112. सहकारी निर्यातकों के लिए उतराई तक की कीमत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। संबंधित देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवतरण मूल्य निर्धारित किया है।

113. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है:

निर्माता	**लैंडेड वैल्यू यूएसडी/एमटी)**	**एनआईपी (यूएसडी/एमटी)**	**क्षति मार्जिन यूएसडी/एमटी)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन (श्रेणी)**
चीन					
शानक्सी टोप्रे सोलर कंपनी लिमिटेड / शेन्ज़ेन टोप्रे सोलर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
एन्हुई फ्लैट सोलर ग्लास / फ्लैट ग्लास ग्रुप कंपनी फ़्लैट (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड,	***	***	***	***	40-50
अनहुई सीएसजी न्यू एनर्जी मटेरियल प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40

ज़िन्यी ग्रुप: गुआंग्शी ज़िन्यी फोटोवोल्टिक उद्योग कं, लिमिटेड / ज़िन्यी सोलर (सूज़ौ) लिमिटेड / ज़िन्यी सोलर (हांगकांग) लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
झांगझोउ किबिंग फोटोवोल्टिक न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, किबिंग ग्रुप/ निंगबो किबिंग फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
अन्य	***	***	***	***	60-70
वियतनाम	***	***	***	***	
फ्लैट (वियतनाम) कं, लिमिटेड / फ्लैट (हांगकांग) कं, लिमिटेड, लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
अन्य	***	***	***	***	50-60

ञ. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

114. इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकालता है कि:

I. चीन जनगण और वियतनाम से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए बोरोसिल रिन्यूअल लिमिटेड द्वारा आवेदन दायर किया गया था। आवेदक विषय वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है और वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग का गठन करता है

II. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'टेक्सचर्ड टफेन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई न्यूनतम 90.5% संचरण 4.2 मिमी (0.2 मिमी की सहिष्णुता सहित) से अधिक नहीं है और जहां कम से कम एक आयाम 1500 मिमी से अधिक है, चाहे वह लेपित हो या अनकोटेड।

III. जांच शुरुआत अधिसूचना में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और चूंकि किसी भी इच्छुक पक्षकार ने पीसीएन सूत्रीकरण का दावा नहीं किया है, इसलिए विषय अन्वेषण में कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई है।

IV. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए अनुरोध दायर नहीं किया है, इसलिए चीन जनगण को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है और सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया गया है जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है।

V. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, चीन और वियतनाम से संबंधित वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

VI. क्षति की जांच अवधि के दौरान विषय वस्तुओं की मांग बढ़ गई। हालांकि इस बढ़ी हुई मांग का फायदा घरेलू उत्पादकों को नहीं मिला है।

VII. विषय देशों से आयात देश में कुल आयात का लगभग 98% है और जांच की अवधि में सबसे अधिक था।

VIII. विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।

IX. आयातों का उतराई मूल्य बिक्री मूल्य के साथ-साथ घरेलू उद्योग की लागत से भी कम है।

X. आयातों ने मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हो सकती थी। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है।

XI. जहां तक घरेलू उद्योग के आथक अनुच्छेदमीटरों पर ऐसे पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकरण निम्नलिखित अनंतिम निष्कर्षों पर पहुंचा है

क. घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम पर विषय वस्तुओं को बेचने के लिए मजबूर किया गया था।

ख. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान कम उपयोग की गई क्षमताओं का सामना करना पड़ा है और मांग का बहुत कम हिस्सा बेचा है।

ग. इंजुअरी पीरियड के दौरान मार्केट शेयर में इंपोर्ट का दबदबा रहा है।

घ. क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत सूची में वृद्धि हुई है।

ङ. घरेलू उद्योग को घाटे, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ का सामना करना पड़ा है।

XII. घरेलू उद्योग को संबंधित देशों से पाट किए गए आयातों के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ है और क्षति की गुंजाइश काफी अधिक है।

XIII. गैर-एट्रिब्यूशनल विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारक से कोई नुकसान नहीं हुआ है और पाटित आयातों के परिणामस्वरूप इसे वास्तविक क्षति हुई है।

XIV. पाटनरोधी शुल्क जनता के हित में है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:

क. घरेलू उद्योग ने संबंधित वस्तुओं के निर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है।

ख. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर शुल्कों का प्रभाव केवल 2.52% है और यह नगण्य है।

ग. इसके अलावा, विषय वस्तुएं डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए एक बड़ी लागत का गठन नहीं करती हैं ।

घ. अत: शुल्क लगाए जाने से संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। घरेलू उद्योग में संपूर्ण भारतीय मांग का लगभग ***% पूरा करने की क्षमता है।

115. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को पाटन, क्षति और कारण लिंक के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन करने, क्षति और कारण लिंक की जांच शुरू करने और करने के बाद, प्राधिकरण का विचार है कि जांच पूरी होने तक पाटन और क्षति की भरपाई के लिए अनंतिम शुल्क लगाना अपेक्षित है। अत प्राधिकरण इसे आवश्यक समळाता है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

116. नियमों के नियम 4 (डी) और नियम 17 (1) (बी) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, प्राधिकरण पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के कम के बराबर अनंतिम पाटन रोधीशुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग को नुकसान को दूर किया जा सके। मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए और प्रदान की गई सूचना तथा इच्छुक पाटयों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्कों के बैंचमार्क/संदर्भ प्रपत्र की सिफारिश करना उपयुक्त समझा जाता है। प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबंधित देशों में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वणत विषय वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क टेबल के कॉल-3 में यथा वणत संबंधित वस्तुओं के लैंडेड मूल्य और नीचे संलग्न शुल्क टेबल के कॉल-7 में दर्शाई गई राशि के बीच अंतर के रूप में की जाती है, बशर्ते लैंडेड वैल्यू कॉल-7 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो। यदि उतरा हुआ मूल्य कॉल-7 में दर्शाए गए मूल्य से अधिक है तो पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए आयातों का उतराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित कर निर्धारण योग्य मूल्य और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3ए, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	कुल धनराशि	मात्रा	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	70071900	टेक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड) कोटेड और अनकोटेड ग्लास	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शानक्सी टोप्रे सोलर कंपनी लिमिटेड	677	एमटी	यूएसडी
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	अनहुई फ्लैट सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड और फ्लैट ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड	677	एमटी	यूएसडी
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	अनहुई सीएसजी न्यू एनर्जी मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	677	एमटी	यूएसडी
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	डोंगगुआन सीएसजी सोलर ग्लास कंपनी लिमिटेड	673	एमटी	यूएसडी
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	वुजियांग सीएसजी ग्लास कंपनी लिमिटेड	677	एमटी	यूएसडी

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	कुल धनराशि	मात्रा	मुद्रा
6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	गुआंग्शी ज़िन्यी फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री कं, लिमिटेड / ज़िन्यी पीवी प्रोडक्ट्स (अन्हुई) होल्डिंग्स लिमिटेड / ज़िन्यी सोलर (सूज़ौ) लिमिटेड	673	एमटी	यूएसडी
7	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	झांगझोउ किबिंग फोटोवोल्टिक न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड / हुनान किबिंग सोलर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड / निंगबो किबिंग फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	674	एमटी	यूएसडी
8	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित सभी देश	क्रम स 1 से 7 में उल्लिखित के अलावा कोई भी निर्माता	677	एमटी	यूएसडी
9	-वही-	-वही-	वियतनाम और चीन जन. गण. को छोड़कर सभी देश	चीन जन.गण.	कोई	677	एमटी	यूएसडी

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	कुल धनराशि	मात्रा	मुद्रा
10	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम	फ्लैट (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड	565	एमटी	यूएसडी
11	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित सभी देश	क्रम सं 10 में उल्लिखित के अलावा कोई भी निर्माता	565	एमटी	यूएसडी
12	-वही-	-वही-	वियतनाम और चीन जन. गण. को छोड़कर सभी देश.	वियतनाम	कोई	565	एमटी	यूएसडी

ट. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

117. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

I. प्राधिकरण इन निष्कर्षों की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी इच्छुक पार्टियों से इन अनंतिम निष्कर्षों पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है।

II. प्राधिकरण नियम 6(6) के संदर्भ में मौखिक सुनवाई आयोजित करेगा ताकि इच्छुक पक्षों को विषय जांच से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

III. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

IV. प्राधिकरण आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक आगे सत्यापन करेगा।

V. प्राधिकरण अपने अंतिम निष्कर्ष देने से पहले पाटन रोधी नियमों के अनुसार आवश्यक तथ्यों का खुलासा करेगा।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी